<u>संख्या-3/2017/13/30-2-2017-03(55)/2013</u>

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी,2017

विषय- महोबा कुलपहाड़-पनवाड़ी-राठ एवं राठ-पनवाड़ी-हरपालपुर अधिसूचित मार्गो पर पूर्व से संचालित 13 परमिट धारकों के संचालन को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बसों के साथ-साथ बनाये रखने हेतु उन्हें नियमानुसार परमिट स्वीकृत प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-157(जी)एसटीए/ 2013-72रिट/एसटीए/2013, दिनांक 07-03-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके परिप्रेक्ष्य में शासन की अधिसूचना संख्या- 2/2017/1090/30-2-2016-03(55)/13 दिनांक-03 जनवरी,2017 द्वारा महोबा-कुलपहाड़-पनवाड़ी-राठ एवं राठ-पनवाड़ी-हरपालपुर अधिसूचित मार्ग, पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ निजी संचालकों को भी संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त मार्ग हेतु पूर्व में स्वीकृत 13 परमिट संख्या-1247/97,1248/97,1949/97, 1250/97,1251/97,1252/97,1253/97,01/2001,02/2001,03/2001,04/2001,05/2001 एवं 06/2001 के धारकों/निजी संचालकों को संचालन बनाये रखने की अनुमति प्रदान की जाय। अतः कृपया उक्त 13 निजी संचालकों/परमिट धारकों के संचालन को बनाये रखने हेतु नियमानुसार परमिट स्वीकृत करने की कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-3/2017/13(1)/30-2-2017 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।
2- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, सम्भागीय प्राधिकरण झांसी/चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
4- सम्भागीय परिवहन अधिकारी झांसी।

आज्ञा से,

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in